भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1503

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: मौसम संबंधी व्यवधानों से ग्रस्त किसानों के लिए वित्तीय राहत उपाय

1503. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों को विशेषकर प्रतिकूल मौसमी दशाओं के दौरान फसल की पैदावार प्रभावित होने से उत्पन्न समस्याओं और उनके ऋणों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित होने से बचाने के लिए उनको दी जाने वाली मौजूदा सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रभावित किसानों को उपलब्ध वित्तीय राहत, पुनर्गठन विकल्पों या छूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश जैसे मौसम संबंधी व्यवधानों से ग्रस्त राज्यों के लिए विशेषकर किसी क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार किसानों को फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उनकी सुरक्षा सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए कई स्कीमें जैसे पीएम किसान, पीएमएफबीवाई और एमआईएसएस कार्यान्वित कर रही है। कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. **संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत**, किसानों को उनकी कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान की जाती हैं।

इस स्कीम के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अपफ्रंट ब्याज छूट (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों का समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें 3%

शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, बैंकों को पुनर्गठित राशि पर पहले वर्ष के लिए ब्याज छूट का एक घटक उपलब्ध है और ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

एनडीआरएफ सहायता प्रदान करने हेतु अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को पुनर्गठित फसल ऋणों पर ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): किसानों की सहायता के लिए एक सहायता तंत्र के रूप में, पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुवाई से पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के एवज में व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह स्कीम प्रारंभ से ही राज्यों के लिए स्वैच्छिक है और खरीफ **2020** से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

यह स्कीम न केवल बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, आंधी, तूफान, बवंडर आदि जैसे न रोके जाने वाले प्राकृतिक जोखिमों/और प्रतिकूल जलवायु आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, अपितु स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आग) और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि और रोकी गई बुवाई (प्रेवेंटेड सोइंग) के कारण फसलोपरांत नुकसान से भी खेत स्तर पर उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। इस फसल बीमा स्कीम के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के एवज में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। फसल खराब होने की स्थिति में, बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है, जिससे किसान अपने ऋण दायित्वों को पूरा कर पाते हैं और एनपीए से बच पाते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, देश में खरीफ **2016** सीजन से उपज सूचकांक आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की गई है। यह एक मांग-आधारित स्कीम है और खरीफ **2020** सीज़न से किसानों के लिए प्रीमियम सब्सिडी पर वित्तीय दायित्व को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा **50:50** के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य पहाड़ी राज्यों में **90:10** के अनुपात में साझा

किया जाता है। यह स्कीम शुरू से ही राज्यों के लिए स्वैच्छिक है और खरीफ **2020** से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी **2019** में शुरू किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को, कुछ अपवादों के अधीन, वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित खर्चों को वहन कर सकें। इस स्कीम के तहत, प्रति किसान परिवार को **2000** रुपये की तीन **4-**मासिक किस्तों में प्रति वर्ष **6000** रुपये की राशि अंतरित की जाती है।

4. प्राकृतिक आपदा राहत: प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल क्षति के लिए किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत भी राहत प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं । हालाँकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है, के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के लिए होती है, न कि मुआवजे के रूप में।

5. ऋण पुनर्गठन: प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ऋणों के पुनर्गठन की अनुमति देता है। रिज़र्व बैंक ने 17 अक्टूबर, 2018 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी को अलग-अलग मास्टर निर्देश - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय 2018 जारी किए हैं। मास्टर निर्देशों के अनुसार, राज्य / केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा की घटना के समय अतिदेय (ओवरड्यू) ऋणों को छोड़कर सभी अल्पकालिक ऋण पुनर्गठन के लिए पात्र होंगे। प्रभावित उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा नए ऋण भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कृषि अवधि ऋण की किस्तों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति के दौरान किसानों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

उपरोक्त सभी योजनाएं आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान किसानों की सहायता करने तथा उनकी फसलों को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली उनकी परेशानियों को कम करने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

*****